न्यायालय सत्र न्यायाधीश भदोही।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–193 सन् 2026

CNR No. UPSN01–000624–2026

1. उमेश सिंह बालिग पुत्र स्व० नागेश्वर सिंह
2. राधे सिंह उर्फ राजेश सिंह बालिग पुत्र स्व० नागेश्वर सिंह

निवासीगण ग्राम डेरवा हाल मुकाम कस्बा गोपीगंज, थाना गोपीगंज जिला भदोही। ....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र०राज्य..... ....अभियोजन पक्ष।

परिवाद संख्या–3837 सन् 2008
धारा–147, 323, 504, 506 एवं 379 भा0 दं0 सं0
थाना–गोपीगंज, जनपद–भदोही।

आदेश

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उमेश सिंह एवं राधे सिंह उर्फ राजेश सिंह की ओर से परिवाद संख्या–3837 सन् 2008 धारा– 147, 323, 504, 506 एवं 379 भा0 दं0 सं0, थाना–गोपीगंज, जनपद–भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ताराचन्द अग्रवाल ने दिनांक–25.05.1987 को समय 23.30 बजे थाना गोपीगंज (तत्कालीन जिला वाराणसी) में सूचना दिया कि मुल्जिमान विनोवा सिंह उर्फ बिन्ने, अजीत सिंह पुत्रगण केशव प्रसाद सिंह, गोपेश्वर सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह एवं नागेश्वर सिंह उर्फ चुट्टुर पुत्र आश बहादुर सिंह से जमीन की मुकदमेंबाजी न्यायालय में चल रही है, उसी रंजिश को लेकर जब वह दुकान बंद कर रहा था तो मुल्जिमान उसे गाली गुप्ता देते हुए डण्डे तथा लात घूंसा से मारने पीटने लगे। जब वह शोर किया तो बगल के तमाम लोग आ गये, बीच–बचाव किया तथा घटना को देखा। उक्त सूचना के आधार पर धारा 323 एवं 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण विनोवा सिंह उर्फ बिन्ने, अजीत सिंह पुत्रगण केशव प्रसाद सिंह, गोपेश्वर सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह एवं नागेश्वर सिंह उर्फ चुट्टुर पुत्र आश बहादुर सिंह के विरूद्ध एन.सी.आर. पंजीकृत हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 26.05.1987 को परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी को संबोधित पत्र प्रस्तुत कर एन.सी.आर. में किये गये कथनों को दोहराते हुए आगे यह भी कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करते हुए उसका बिक्री व प्रैक्टिस का 830/–रूपये छीन लिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। उसके पश्चात् परिवादी की ओर से न्यायालय में परिवादपत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि मुल्जिमान 1 ता 2 के विरूद्ध ज्ञानपुर तहसील में जमीन के बाबत् मुकदमेंबाजी चल रही है, इसी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण दिनांक 25.05.1987 को रात्रि 11.00 बजे जब परिवादी जी.टी. रोड से मिर्जापुर जाने वाली सड़क के किनारे स्थित अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान बंद करके दिन भर की बिक्री व प्रैक्टिस का मु० 830/–रूपया लेकर घर जाने को हुआ कि अभियुक्तगण गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह, नागेश्वर सिंह उर्फ चुट्टुर, विनोवा सिंह उर्फ बिन्ने, अजीत सिंह, राधे सिंह, उमेश सिंह, अज्जू एवं सतीश पाठक एक राय होकर नाजायज गोल बनाकर परिवादी को मारने पीटने व रूपया लूटने तथा छीनने की बदमंशा से एक राय होकर गाली–गुप्ता देने लगे। मुल्जिम अज्जू व उमेश सिंह ने पकड़ लिया और मुल्जिम सतीश पाठक ने

ललकारा कि साले का रूपया पैसा लूट व छीन लो और हाथ पैर तोड़कर बेकाम कर दो। इस पर मुल्जिमान नागेश्वर सिंह उर्फ चुट्टुर, विनोवा सिंह उर्फ बिन्ने हाथ में लिये डण्डे से तथा अभियुक्त गुप्तेश्वर सिंह, अजीत सिंह, राधे सिंह लात–घूंसा से उसे मारने लगे। मुल्जिम गुप्तेश्वर सिंह व नागेश्वर सिंह ने उसके पैन्ट की जेब में हाथ डालकर मु० 830/–रूपया जबरदस्ती डरवाकर लूट लिया और जान से मारने की धमकी दिया। परिवादी ने घटना की सूचना थाने पर दिया रिपोर्ट न लिखे जाने पर पुलिस अधीक्षक भदोही को जरिये प्रार्थनापत्र सूचना दिया फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब परिवादी ने न्यायालय में परिवादपत्र प्रस्तुत कर स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता व साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध कराया। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं परिवादपत्र की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात् अभियुक्त गुप्तेश्वर सिंह, नागेश्वर सिंह, विनोद, अजीत, राधे, उमेश, अञ्जू एवं सतीश पाठक को अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 एवं 379 भारतीय दण्ड संहिता में विचारण हेतु आहूत किया।

3. मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व परिवादी के निजी अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने आधार अग्रिम जमानत एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया कि वे निर्दोष हैं, रंजिशन झूठें मुकदमें में फंसाये गये हैं। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। जमानत याचित कर रहे अभियुक्तगण घटना के तत्काल बाद पंजीकृत कराये गये एन.सी.आर. में नामित नहीं है तथा एन.सी.आर. के अभिकथनों से यह भी स्पष्ट है कि परिवादी के साथ चोरी की कोई घटना घटित नहीं हुई थी। परिवादी के जेब से रूपया निकालने की विशिष्ट भूमिका गुप्तेश्वर व नागेश्वर की कही गयी है। अन्य सहअभियुक्तगण की कोई भूमिका नहीं है। परिवादी स्वयं एन.सी.आर. एवं परिवादपत्र में कथन किया है कि अभियुक्तगण से उसकी जमीनी रंजिश थी। अभियुक्तगण कभी भी एक राय होकर कथित परिवादी को न मारे पीटे, न गाली गुप्ता दिये, न जान से मारने की धमकी दिये और न ही परिवादी का पैसा निकाले। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नही है। मामले में अभियुक्तगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय मे रिट पेटिशन दाखिल की गयी थी, जिसका अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है। अभियुक्त उमेश सिंह विधि व्यवसाय करते हैं। परिवादपत्र में अंकित अभियुक्त संख्या 1 की वर्ष 1990 में, अभियुक्त संख्या 2 की वर्ष 1998 में, अभियुक्त संख्या 3 की वर्ष 2024 में एवं अभियुक्त संख्या 4 की 2025 में मृत्यु हो चुकी है। अत: अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं परिवादी के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामले में सर्वप्रथम अभियुक्तगण दिनांक 29.10.1987 को तलब किये गये हैं। तब से अभियुक्तगण आज दिनांक–10.03.2026 को न्यायालय में 38 साल बाद अग्रिम जमानत हेतु उपस्थित हुए हैं। इसके पूर्व अभियुक्तगण किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर पुनरीक्षण न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण/याचिका प्रस्तुत करके मामले में विलंब कारित करते रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2026 को अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आदेश की तिथि से 30 दिवस के अन्दर चार्ज विरचित कराने हेतु उपस्थित होने का निर्देश देने पर अभियुक्तगण द्वारा उक्त अग्रिम जमानत

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, चूंकि मामले में सात वर्ष तक से कम की सजा प्राविधानित है। अतः अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने का आग्रह किया गया।

6. अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 25.05.1987 को रात्रि 11.00 बजे अन्य सहअभियुक्तगण के साथ, परिवादी द्वारा अपना कृष्णा मेडिकल स्टोर कस्बा गोपीगंज बंद करके बाहर निकलते समय एक राय होकर परिवादी के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करते हुए 830/–रूपये उसकी जेब से चोरी/छीन लिये जाने का आरोप है।

7. आवेदक/अभियुक्तगण की परिवादपत्र में तलबी धारा 147, 323, 504, 506 एवं 379 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत है, जो अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास से ही दण्डनीय है। पत्रावली एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 9247/2025 उमेश सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2026 को उक्त रिट याचिका खारिज करते हुए अभियुक्तगण को विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय में आरोप विरचन हेतु उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया, अन्यथा की दशा में मजिस्ट्रेट न्यायालय को अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करने हेतु स्वतन्त्र किया गया। ऐसी स्थिति में, जब माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अभियुक्तगण को विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया गया है और मामले में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्राविधान है तो अभियुक्तगण को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों / निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य एवं प्रासंगिक होगा।

8. मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। तदानुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उमेश सिंह एवं राधे सिंह उर्फ राजेश सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक–10.03.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
JO Code NO.–UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.03.10 17:44:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court